

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर  
केशव कुमार गोयल बनाम राजेश कुमार  
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) संख्या 46/2021

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**पत्रावली संख्या : 46/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भरतपुर।

आवेदक

**बनाम**

राकेश कुमार पुत्र सुन्दर लाल खण्डेलवाल, 46 वर्ष, (खाद्य करोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता)  
मैसर्स कृष्णा चाट कार्नर एवं स्वीट भण्डार, सारस चौराहा, एन.एच. 21, भरतपुर निवासी-64  
आदर्श कोलोनी, हेड पोस्ट आफिस के पीछे, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

**निर्णय**

**दिनांक : 13.01.2022**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स  
2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 05.08.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल

को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 13.01.2022 को गैरसायल उपस्थित।

नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि  
22.03.2021 को प्रातः 11.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स कृष्णा चाट कार्नर एवं

स्वीट भण्डार, सारस चौराहा, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु स्टील की एक बडी ट्रे में 8 किग्रा0 मावा मिठाई (बर्फी) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/245/एक्ट/2021/422 दिनांक 05.04.2021 द्वारा उक्त मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मावा मिठाई (बर्फी) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स कृष्णा चाट कार्नर एवं स्वीट भण्डार, सारस चौराहा, भरतपुर से मावा मिठाई (बर्फी) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मावा मिठाई (बर्फी) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मावा मिठाई (बर्फी) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 22.03.2021 को प्रातः 11.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु मावा मिठाई (बर्फी) करीब 8 किग्रा0 रखी हुई पाई गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/245/एक्ट/2021/422 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा उक्त मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर  
केशव कुमार गोयल बनाम राजेश कुमार  
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) संख्या 46/2021

(Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Butyro-  
refrecometer Reading of extracted fat at 40°C का मानक 40.0 to 44.0 होना  
चाहिये था परन्तु इसका मानक 44.9 पाया गया है जो निर्धारित मानक से अधिक है। दौराने  
सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं  
सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती  
होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की  
चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के  
द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/-रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से  
दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बीना महावर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर